IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, August 2023

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार का विमर्श

तनु श्री द्ववेदी[1] and डॉ. रमेश चन्द्र मिश्रा [2]

शोध छात्र, नेहरु ग्राम भारती विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ.प्र.[1]

विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, नेहरु ग्राम भारती विश्वविद्यालय, प्रयागराज ,उ.प्र.[2]

संक्षिप्त सार

प्राचीन युग से वर्तमान युग तक नारी के संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है कहा जाता है कि 1000 वर्षों से पराधीनता में रहने बाली एकमात्र जाति" नारी "ही है। इसी कारण स्त्री को अंतिम उपनिवेश की भी संज्ञा दी जाती रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देता है किंतु आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह स्थिति कागजों तक ही सीमित है। यदि हमारे देश में घटित होने वाले महिलाओं के प्रति अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि प्रति 6 मिनट पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, सार्वजनिक अपमान, हत्या का प्रयास, बलात्कार, उत्पीड़न और अश्लीलता जैसी घटनाएं घटती हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों की स्थिति को देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक फिर मध्यप्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध घटित होते हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर से कठोर कानून निर्मित किए जा रहे हैं, किंतु जब तक पुरुषों तथा समाज की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा क्योंकि समस्याओं का जन्म समाज से होता है। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसके साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन स्वयं महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है|

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय महिला की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं । आजादी के 72 वर्षों के पश्चात हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अधिनियमो की विवेचना करते हैं तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं ।किंतु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानून की जानकारी उनको नहीं मिल पाती और अधिकतर महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनको कौन – कौन से अधिकार प्राप्त है।

भारत में 26 नवंबर 1949 को निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे| लेकिन अब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कि संविधान निर्माण के संदर्भ में हमें केवल अग्रणी पुरुष सदस्यों के रूप में डॉ बी आर अम्बेडकर ही याद है, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की थी| पर जब हमारी सोच में पितृसत्ता का चश्मा होतो अक्सर हमारी नज़रों से आधी आबादी के पूरे पन्ने ओझल से हो जाते है| शायद यही वजह है कि संविधान सभा में महिलाओं के अधिकार योगदान महिलाओं को संविधान ने दिया है|

सहित्यिक परिदृश्य

डॉ. दीपिका भटनागर (2023) ने अपने शोध "संविधान में महिलाओं के अधिकारों के क्रियान्वयन"में बताया की अनुच्छेद 51 (3) के मूल कर्तव्य के अंतर्गत भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।

दीपसिखा बनारस (2017) "भारत में स्त्री विमर्श" में बताया है की 1918 ई. के कांग्रेस बैठक में स्त्रियों को दिए गये मताधिकार को भी राष्ट्रवादी आन्दोलन की अपनी जरूरतों और उसमें से उभरते स्त्री आन्दोलन के सन्दर्भ में देखने की आवश्यकता है| राष्ट्रवादी जरूरतों से तात्पर्य साम्राज्यवादियों की उस विचारधारा से लड़ने के परिप्रेक्ष्य में है जो मेयो के 'मदर इंडिया' में दिखाई देती है| स्त्रियों के अपने अधिकारों की माँग और साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने में उनकी भूमिका इस मताधिकार की पृष्ठभूमि निर्मित करता है| स्त्री का मताधिकार भी स्त्री के हक़ और न्याय की उन तमाम मांगों से जुड़ा हुआ था जिसके लिए सावित्रीबाई, रमाबाई, काशीबाई कानितकर, आनंदीबाई, मैरी भोरे, गोदावरी समस्कर, पार्वतीबाई, सरला देवी, भगिनी निवेदिता से लेकर भिकाजी कामा, कुमुदिनी मित्रा, लीलावती मित्रा जैसी स्त्रियों ने अनेक स्तरों पर संघर्ष किया और ऐसे हजारों नाम इतिहास के पन्ने पर लिखे जा सकते हैं| एनी बेसेंट ने मार्गरेट कूजिंस, सरोजिनी नायडू आदि के साथ स्त्रियों के मताधिकार की माँग की थी| कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी स्त्रियों के ऊपर था|

अध्ययन का उद्देश्य –

1. मौलिक अधिकारों के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार (women rights under FR) का अध्ययन|

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, August 2023

2. राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत महिलायों के अधिकार (women rights under DPSP) का अध्ययन|
3. मोलिक कर्तव्य के अंतर्गत महिलायों के अधिकार(women rights under FD) का अध्ययन|
4. अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार (women rights in other articles) का अध्ययन |

शोध विधि-

प्रस्तुत वर्णनात्मक शोध में द्वतीय संगणक एवं समाचार पत्र,पुस्तकालयों,किताब,शोध पत्रिकाएँ आदि से सूचनाएं एकत्र किया गया है |

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार का विमर्श

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार का विमर्श निम्न रूपों से किया जा सकता है-

1.मौलिक अधिकारों के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार (women rights under FR)

अनुच्छेद 14 -विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार

अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि "भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।" समानता का तात्पर्य यहां पर यह है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार स्त्री (women rights) और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है।

अनुच्छेद 15 (3) के अधीन राज्य सरकार को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्राप्त है और न्यायालय अनुच्छेद 15 (3) के अधीन राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। स्त्रियों तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 15 (3)) अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 15 (2) में दिए गए सामान्य नियम का अपवाद हैं। यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रुकेगी। स्त्रियों और बालकों की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी सोचनीय थी। वे अपनी सामाजिक कुरीतियों; जैसे – बाल- विवाह, बहु – विवाह आदि की शिकार थी और पूर्ण रूप से पुरुषों पर आश्रित थीं, इसी कारण राज्य को उनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित है। स्त्रियों के प्रति इस वैधानिक सहानुभूति के आधार के बारे में अमेरिका के न्यायालय ने ***"मूलर बनाम ओरेगन"***के मामले में कहा कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुखद स्थिति में कर देते हैं। अत: उनको शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है जिससे नारी शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके। इसी प्रकार भारत के संविधान की उद्देशिका जो बिना भेदभाव के सभी नागरिकों की बात करती है, को भी ले सकते हैं।

अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 16 यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी।

अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19 में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है,ताकि वह स्वतंत्र रूप से भारत के क्षेत्र में आवागमन, निवास एवं व्यवसाय कर सकती हैं।स्त्री लिंग होने के कारण किसी भी कार्य से उनको वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है तथा ऐसी स्थिति में कानून की सहायता हो सकेगी।

अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता सेवा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सभी अधिकारों में श्रेष्ठ हैं और अनुच्छेद 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 23 – 24

अनुच्छेद 23 – 24 द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी गरिमा के लिए उचित नहीं मानते हुए महिलाओं की खरीद बिक्री वेश्यावृत्ति के लिए जबरदस्ती करना, भीख मंगवाना आदि को दंडनीय माना गया है। इसके लिए सन 1956 ***में "सुपरेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट"***भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, August 2023

2. राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत महिलायों के अधिकार (women rights under DPSP)

अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 39 (क) में स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं अनुच्छेद 39(द) में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है। अनुच्छेद 39 (द) के निर्देशों के अनुपालन में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया।

अनुच्छेद 42

अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए संसद में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, पारित किया। न्याय अधिनियम कतिपय स्थापनो में शिशु जन्म से पूर्व और पश्चात भी कतिपय कालावधियो में महिलाओं के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसूति प्रसुविधा और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए पारित किया गया। इस अधिनियम में कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था है, जैसे – किसी स्त्री की मृत्यु की दशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाए (धारा 7), चिकित्सीय बोनस का संदाये (धारा 8), गर्भपात आदि की दशा में छुट्टी (धारा 9), ट्यूब कटोरी (बंध्याकरण) ऑपरेशन के लिए मजदूरी के साथ छुट्टी, (धारा 9 क), गर्भावस्था प्रसव समय पूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली रुग्णता के लिए छुट्टी (धारा 10) तथा तथा पोषणार्थ विराम (धारा 11) आदि।

अनुच्छेद 46

अनुच्छेद 46 इस बात का आवाहन करता है कि राज्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी खेतों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सब प्रकार के शोषण से संरक्षा करेगा।

3. मोलिक कर्तव्य के अंतर्गत महिलायों के अधिकार(women rights under FD)

अनुच्छेद 51A (e) संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A (e) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो।

4. अन्य अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार (women rights in other articles)

संविधान का 73 वां और(भाग 9 (क)) 74वां संशोधन जो 1992 में किया गया था। इसके माध्यम से, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है।

अनुच्छेद 243 (द)(3) इस अनुच्छेद में प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/ 3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे। **अनुच्छेद 325**

अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 325 द्वारा संविधान निर्माताओं ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि भारत में पुरुष और स्त्री को समान मतदान अधिकार दिए गए हैं।

निष्कर्ष

समय-समय पर संविधान में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाते रहे हैं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके अधिकारों को ना केवल सुनिश्चित करना जरूरी है बल्कि उन अधिकारों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

[1]. डॉ. दीपिका भटनागर (2023) संविधान में महिलाओं के अधिकारों के क्रियान्वयन,वेबदुनिया
[2]. स्वाति सिंह (२०१८) भारत में महिला अधिकार,भारत में नारीवाद
[3]. दीपसिखा बनारस (2017) "भारत में स्त्री विमर्श"
[4]. के.के.सिंह (२०२१) महिलाओं के संवैधानिक अधिकार